न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 80 / 2021

1 मोहन पुत्र गणपत उम्र 55 साल जाति जाट निवासी रसीदपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 अर्जुन पुत्र रामूराम
2 पतासी पुत्र रामूराम
3 मुकन्दाराम पुत्र रामूराम
4 देवीदयाल पुत्र गणपत
5 सुभाष पुत्र गणपत पुत्र कुम्भाराम
6 राजू पुत्र गणपत पुत्र कुम्भाराम
7 सीताराम पुत्र गणपत पुत्र कुम्भाराम
8 विमला देवी पत्नी जगदीश
9 विमला देवी पत्नी जगदीश
10 दिनेश कुमार पुत्र जगदीश
11 बिरजी देवी पुत्री जगदीश
12 पूनम पुत्री जगदीश समस्त जाति जाट निवासीगण रसीदपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
13 तहसीलदार धोद।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त. अधि.
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 25.112011 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सीकर किस्म मुकदमा बंटवारा मु.न.
491 / 2011 अर्जुन बनाम सरकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बनवारीलाल बरवड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमार माथूर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनुपस्थित)

–निर्णय–

दिनांक– 19/12/16

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 491/2011 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट अर्जुन की ओर से ग्राम रसीदपुरा की भूमि खसरा नम्बर 705, 707 व 708 के संदर्भ में विभाजन का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कानूनन किसी भी भूमि का विभाजन करने के लिए उस भूमि के सभी खातेदारों पक्षकारों को सूचना व सुनवाई का अवसर देकर ही तथा उनकी उपस्थिति में ही मौके पर वंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर तथा वंटवारा प्रस्ताव पर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर कराना आवश्यक होता है, जवकि अपीलाधीन मामले में पटवारी द्वारा अपने वंटवारा प्रस्ताव में नोट लगाकर यह अंकित किया गया है कि मोहन सुभाष पि. गणपत खातेदार मौके पर मौजूद नहीं मिले, इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने वंटवारा स्वीकृत इसे डिक्री माना जावें। लिखकर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना बंटवारा मान्य कर अपना निर्णय दिया गया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारे बाबत कानून में निर्धारित प्रकियात्मक विधि की पालना नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करके सभी खातेदारों की सहमति नहीं होने के बावजूद वरा खातेदारों में से आठ खातेदारों के ही बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाकर शेष दो खातेदारों अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की अनुपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर उसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। कानूनन भी राजस्व रिकार्ड में अंकित हक हिस्से के अनुसार ही सभी खातेदारों के मध्य आपसी सहमति व स्वीकृति तथा उनके कब्जों के आधार पर ही उसके हक हिस्से में जितनी भूमि आती है उतनी ही भूमि बंटवारे में दी जा सकती है किन्तु विचारण न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव में पटवारी हल्का द्वारा सभी खातेदारों का गणितीय आंकलन न करके मनमर्जी से हिस्सा अंकित कर बंटवारे में किसी को कम तथा किसी को अधिक भूमि दे दी गई है इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पृथक से निर्णय में ही यह अंकित किया गया है कि बंटवारा स्वीकृत इसे ही डिक्री माना जावें। इस कारण डिक्री की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट अर्जुन की ओर से ग्राम रसीदपुरा की भूमि खसरा नम्बर 705, 707 व 708 के संदर्भ में विभाजन का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है।

विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने समस्त खातेदारान को नोटिस जारी किये बिना, सम्यक तामील करवाये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना, प्राथमिक डिकी जारी किये बिना, विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये बिना केवल मात्र कुछ खातेदारान की सहमति के आधार पर विचाराधीन निर्णय से विभाजन की अंतिम डिकी जारी कर विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सभी सहखातेदारान प्रतिवादीगण की सम्यक तामील के उपरांत जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर